

पत्रांक 1474

रक्सौल, / दिनांक 06/11/23

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

(ई-मेल एवं व्हाटस एप्प से भी प्रेषित)

सेवा में ,

SHASHI SHEKHAR RAMAN,

.....
.....

विषय:- **State Scheme (MR-3054)** अन्तर्गत Bachni Pokhar to Unchi Dih (Rampur) पथ में, पथ के मॉग के अनुसार अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व का पत्रांक-896 दिनांक-08.09.2023 एवं पत्रांक-1035 दिनांक-13.09.2023 पत्रांक-1229 दिनांक-09.10.2023, पत्रांक-1354 दिनांक-12.10.2023, पत्रांक-1384 दिनांक-19.10.2023 एवं पत्रांक-1415 दिनांक-27.10.2023 विभागीय V.C. में दिये गए निर्देश एवं इस परिपेक्ष्य में निर्गत अन्य पत्र।

महाशय

उपरोक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव महोदय, बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को किसी भी कार्य प्रमंडल के अनुरक्षणाधीन पथों का विभागीय सचिव महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से निर्मित/निर्माणाधीन, पथों/पुलियों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।

आपके द्वारा एकरारित **State Scheme (MR-3054)** अन्तर्गत Bachni Pokhar to Unchi Dih (Rampur) पथ जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। उपरोक्त वर्णित पथ में, यथा-फ्लैंक में मिट्टी का कार्य, झाड़ी की कटाई एवं घास की सफाई, पथों के Pot Hole की मरम्मत, साईन बोर्ड की पेंटींग, रोड फर्नीचर, पुल-पुलिया के Vent की सफाई इत्यादि एवं विभागीय 24 बिन्दु के आलोक में अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे एवं कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को इससे अवगत करावेंगे।

इस संदर्भ में क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य करवाने में अभिरूची नहीं ली जा रही है तथा अनुरक्षण कार्य करने में लापरवाही बरती जा रही है। अनेको स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा पथ की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराई जा रही है। जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि आप अनुरक्षण कार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब आपके निबंधन को डिबार करने हेतु अनुशंसा की जा रही है एवं आपके एकरारनामा को विखंडित करने की कारवाई सहित आपके निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा करने की बाध्यता अधोहस्ताक्षरी की हो रही है। इसे अंतिम स्मार मानेंगे।

आशा है इसे अतिगंभीरता से आप लेंगे।

विश्वासभाजन,

Signature
6/11/23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक1534

रक्सौल, / दिनांक 06/11/23

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

(ई-मेल एवं व्हाट्स एप्प से भी प्रेषित)

सेवा में ,

M/S SHIVA CONSTRUCTION

At-New Colony Vc Lane Mithanpur Muzaffarpur Bihar-842002

विषय:- State Scheme (MMGSY GEN) अन्तर्गत Nh-28A Path Chiljhapti To Sah Tola Katkenwa पथ में, पथ के मॉग के अनुसार अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व का पत्रांक-896 दिनांक-08.09.2023 एवं पत्रांक-1048 दिनांक-13.09.2023 पत्रांक-1205 दिनांक-09.10.2023, पत्रांक-1354 दिनांक-12.10.2023, पत्रांक-1384 दिनांक-19.10.2023 एवं पत्रांक-1415 दिनांक-27.10.2023 विभागीय V.C. में दिये गए निर्देश एवं इस परिपेक्ष्य में निर्गत अन्य पत्र।

महाशय

उपरोक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव महोदय, बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को किसी भी कार्य प्रमंडल के अनुरक्षणाधीन पथों का विभागीय सचिव महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से निर्मित/निर्माणाधीन, पथों/पुलियों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।

आपके द्वारा एकरारित State Scheme (MMGSY GEN) अन्तर्गत G.B.C Dubaha Bazar to Dhabhawa Purab पथ जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। उपरोक्त वर्णित पथ में, यथा-पल्लेक में मिट्टी का कार्य, झाड़ी की कटाई एवं घास की सफाई, पथों के Pot Hole की मरम्मत, साईन बोर्ड की पेंटिंग, रोड फर्नीचर, पुल-पुलिया के Vent की सफाई इत्यादि एवं विभागीय 24 बिन्दु के आलोक में अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे एवं कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को इससे अवगत करावेंगे।

इस संदर्भ में क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य करवाने में अभिरुची नहीं ली जा रही है तथा अनुरक्षण कार्य करने में लापरवाही बरती जा रही है। अनेको स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा पथ की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराई जा रही है। जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि आप अनुरक्षण कार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब आपके निबंधन को डिबार करने हेतु अनुशंसा की जा रही है एवं आपके एकरारनामा को विखंडित करने की कारवाई सहित आपके निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा करने की वाध्यता अधोहस्ताक्षरी की हो रही है। इसे अंतिम स्मार मानेंगे। आशा है इसे अतिगंभीरता से आप लेंगे।

विश्वासभाजन,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।